

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय, गाजियाबाद

दिनांक 19.08.2020

आदेश

(संख्या 05 /2020)

कार्यालय INCIDENT COMMANDER/नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांकित 19.08.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रीमती रजनी एडवोकेट जिला न्यायालय, गाजियाबाद कोरोना पाजिटिव पाये जाने के कारण न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया से विरक्त रखते हुए परिसर में 24 घण्टे हेतु सील करने की संस्तुति की गयी है।

अतएव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 लखनउ द्वारा निर्गत अधिसूचना सं० 548/पांच-8-2020 दिनांकित 14.03.2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम सं० 3 सन 1897 की धारा -2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोरोना (COVID-19) विनियमावली 2020 के प्रस्तर सं० 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० 1117/LXXXVII-CPC/e Courts/Allahabad दिनांकित 03.06.2020 के अनुसार अधिनस्थ दीवानी न्यायालयों के खोले जाने के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जहां पर जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्साधिकारी की राय में जिला न्यायालय/परिवार न्यायालयों को कुछ समय के लिए बन्द किया जाना है, वहां पर जिला न्यायालय/परिवार न्यायालय बन्द किये जायेंगे तथा इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित की जायेगी।

उक्त के अनुक्रम में मैं प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय, गाजियाबाद दिनांक 19.08.2020 की सांय काल से आगामी 24 घण्टे (दिनांक 20.08.2020) तक सभी परिवार न्यायालय, जिला न्यायालय गाजियाबाद के अधिवक्ता चैम्बर में कोरोना वायरस से व्यक्ति के पीडित/संक्रमित होने के संज्ञान में आने के दृष्टिगत उक्त सोसायटी/क्षेत्र/परिसर को तत्काल प्रभाव से कोरोना वायरस (COVID-19) फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से सीज किये जाने एवं परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश देती हूँ। आदेश का उद्बन्धन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 (पंद्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम सं० 45 सन 1860) की धारा -188 के अधिन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० 1117/LXXXVII-CPC/e Courts/Allahabad दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन में सभी परिवार न्यायालय एवं कार्यालयों को सैनिटाईजेशन श्री अभिषेक श्रीवास्तव, प्रभारी नजारत गाजियाबाद की देखरेख में किया जायेगा और इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दिनांक 21.08.2020 को प्रातः 10 बजे प्रेषित की जाये।

उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

सभी परिवार न्यायालय, गाजियाबाद में दिनांक 20.08.2020 को नियत समस्त सिविल एवं क्रिमिनल वादों में सामान्य तिथि 29.09.2020 नियत की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जाये तथा एक आदेश के प्रति जिला न्यायालय, गाजियाबाद की अधिकारिक वेबसाइट (official website) पर आदेश अपलोड किया जाये।

  
प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय  
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि-

1. मा० जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।
2. प्रभारी नज्दत, सिविल कोर्ट, गाजियाबाद।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद।
6. बार एसोसिएशन, गाजियाबाद।
7. सिस्टम आफिसर, सिविल कोर्ट, गाजियाबाद।
8. न्यायालय नोटिस बोर्ड।

  
प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय  
गाजियाबाद।

